Section 23 : Persons not liable for registration

(1) The following persons shall not be liable to registration, namely: —

(a) any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(b) an agriculturist, to the extent of supply of produce out of cultivation of land.

[1]**[(2)** Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.**]**

---

1 Sub-section (2) substituted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to substitution it read as under:

"**(2)** The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act."

धारा 23 : व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है

धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट ततप्रतिकुल किसी बात के होते हुए भी,–

(1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :–

(i) कोई व्यक्ति, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कर के लिये दायी नहीं है या जिन्हें कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है;

(ii) कोई कृषक, भूमि की खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक;

[1]**[**(2) धारा 22 की उपधारा 24 में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट का सकेगी, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट गई हो।]

---

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 23 प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.07.2017। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

''(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।''